प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्नवर पुत्र श्री अनवार, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जिला-शामली की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-7419/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्नवर पुत्र श्री अनवार, आलकलां, कस्बा व थाना-कैराना , जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जिला-शामली का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 07.06.2004 को लगभग 10:00 बजे वादी की भतीजी इसरत आयु करीब 7-8 वर्ष मस्जिद के निकट पढ़ने गयी थी जिसे मस्जिद से छुटटी हुई तो जबरदस्ती पकड़ लिया और इसरत के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-1108/04 भा0द0वि0 की धारा-376(2)(एफ) में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 25.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 17 वर्ष 06 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 05 माह 29 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार जैसा घृणित अपराध किये जाने व ऐसे अपराधी के समाज में रहने से समाज में बुरा असर पड़ने व समाज प्रभावित होने, बन्दी द्वारा छोटी बच्ची के साथ पूरे होश हवास में बलात्कार जैसा अपराध किया गया है यदि बन्दी रिहा किया गया तो पुनः इस तरह के अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की उम्र अभी 50 वर्ष के आसपास होने से पुनः अपराध करने की आशंका से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा घृणित अपराध किया गया है यदि आकर समाज में रहेगा तो समाज पर इस का बुरा असर पड़ेगा इसलिए जेल में आगे और रहना उपयुक्त होने, बन्दी के परिवार में अब कोई व्यक्ति जीवित नहीं होने व बंदी की बहन अपने पति व बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है इसलिए परिवारिक स्थिति के कारण रिहाई की कोई आवश्यकता नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 07.06.2004 को वादी की भतीजी इसरत आयु करीब 7-8 वर्ष के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन में अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुनव्वर पुत्र श्री अनवार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्नवर (बन्दी संख्या-14349) पुत्र श्री अनवार, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जिला-शामली के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-522/2025/467(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-522/2025/467/22-2-2022-17(407)/2022

दिनांक 30 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्नवर पुत्र श्री अनवार, आलकलां, कस्बा व थाना-कैराना, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जिला-शामली का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 07.06.2004 को लगभग 10:00 बजे वादी की भतीजी इसरत आयु करीब 7-8 वर्ष मस्जिद के निकट पढ़ने गयी थी जिसे मस्जिद से छुटटी हुई तो जबरदस्ती पकड़ लिया और इसरत के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-1108/04 भा0द0वि0 की धारा-376(2)(एफ) में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 25.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 17 वर्ष 06 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 05 माह 29 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार जैसा घृणित अपराध किये जाने व ऐसे अपराधी के समाज में रहने से समाज में बुरा असर पड़ने व समाज प्रभावित होने, बन्दी द्वारा छोटी बच्ची के साथ पूरे होश हवास में बलात्कार जैसा अपराध किया गया है यदि बन्दी रिहा किया गया तो पुनः इस तरह के अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की उम्र अभी 50 वर्ष के आसपास होने से पुनः अपराध करने की आशंका से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा घृणित अपराध किया गया है यदि आकर समाज में रहेगा तो समाज पर इस का बुरा असर पड़ेगा इसलिए जेल में आगे और रहना उपयुक्त होने, बन्दी के परिवार में अब कोई व्यक्ति जीवित नहीं होने व बन्दी की बहन अपने पति व बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है इसलिए परिवारिक स्थिति के कारण रिहाई की कोई आवश्यकता नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे और निरूद्व रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 07.06.2004 को वादी की भतीजी इसरत आयु करीब 7-8 वर्ष के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन में अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुनव्वर पुत्र श्री अनवार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in